हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31 7/25 पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक......18/9/2025......को पेश हो।	
18 9/25 पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक 13/11/2025 को पेश हो।	
13 11/25 पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 27/11/25 को पेश हो।	
27 11/25 पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की ख॰ न॰ 106 हमारी खातेदारी की भूमि है, जिसके सहारे ख॰ न॰ 107 अप्रार्थीगण की नहर के सहारे भूमि है। थे अपनी खातेदारी भूमि की आड मे 12/2022 से हमारी भूमि पर कब्जा करना चाहते है। ख॰ न॰ 106 पर पाबन्द करने मे अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। खण्डन मे वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की खातेदारी भूमि व नहर के बीच में खाडी है, प्रार्थीगण खाडी पर कब्जा करना चाहते है। W.R.D. को हमने खाडी पर अतिक्रमण की सूचना की तो इन्होंने दावा पेश किया है। हम ख॰ न॰ 106 पर कब्जा नहीं करना चाहते है। सीमाज्ञान रिपोर्ट मे भी कोई कब्जे का अंकन नहीं है। खण्डन मे पुनः वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की नहर की खाडी होने का कोई दस्तावेज इन्होंने पेश नहीं किया है। W.R.D. को खाडी बाबत आपत्ति उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

होना चाहिए। W.R.D. को पेश शिकायत की प्रति पेश नही की है। प्रकरण स्वीकार कर ख॰ न॰ 106 में दखलंदाजी नही करने हेतु पाबन्द किया जावे।

वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यो के खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की हमारे द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा करने का कोई प्रयास नही किया गया है, इन्होने कोई दस्तावेजात पेश नही किये है। बेवजह अप्रार्थी को परेशान करने हेतु कार्यवाही पेश की है, ख॰ न॰ 106 की आड में खाडी पर कब्जा करना चाहते है। प्रकरण खारीज किया जावे।

हमने बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। विवादित भूमि ख॰ न॰ 106 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण हेतु निर्धारित तीनो बिन्दुओ पर न्यायालय निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

1. प्रथम मुख्य मामला :- विवादित भूमि ख॰ न॰ 106 ग्राम डाबला प॰ म॰ अणतंगज प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का दिनांक - 19/06/2020 को प्रार्थीगण द्वारा करवाया हुआ है, जिसमें ख॰ न॰ 106 पर किसी प्रकार के अतिक्रमण / कब्जे का अंकन नही है। ना ही प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी पर दखलंदाजी बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नही किये है, जिससे प्रकरण में अंकित तथ्यो की पुष्टि हो सके। उपरोक्त विवेचन से प्रथम मुख्य मामला ~~प्रथम मुख्य~~ प्रार्थीगण के पक्ष में

तारीख हुक्म —	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं बनता है।

2. सुविधा संतुलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा दखलंदाजी करना प्रमाणित नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बन रहा है।

3. अपूरणीय क्षति की संभावना :- विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण की दखलंदाजी करना प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

प्रकरण में उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर विवेचनोपरान्त मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली